झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

प्रेस विज्ञप्ति

नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक नगर निवेशक के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2020) के संबंध में आवश्यक सूचना।

नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक नगर निवेशक के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2020) हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का दिनांक–05.01.2021 से दिनांक–07.01.2021 तक अभिलेख सत्यापन एवं दिनांक–06.01.2021 से दिनांक–08.01.2021 तक साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथिवार पूर्ण विवरणी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

2. आयोग द्वारा औपबंधिक रूप से स्वीकृत एवं अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची (कारण सहित) आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड है।

3. साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु पूर्वाहन–10:00 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

4. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक–26.12.2020 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0–+919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–11:00 बजे से अपराहन्–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

5. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्रों के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
(ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
(iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला/बी0 प्लानिंग/असैनिक अभियंत्रण में स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(iv) मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्बन प्लानिंग/ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग/हाउसिंग/पर्यावरण प्लानिंग/क्षेत्रीय प्लानिंग में से किसी एक विषय में विशिष्टिकरण के साथ मास्टर ऑफ प्लानिंग की उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(v) इन्स्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया), नई दिल्ली से साहचर्य सदस्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
(vi) जाति प्रमाण पत्र/E.W.S. प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(ix) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।

6. अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

7. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

कृ0पृ0उ0

8. अभिलेख सत्यापन / साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। सभी अभ्यर्थी Covid-19 को देखते हुए सरकार द्वारा निर्गत सुरक्षा संबंधी दिशा–निर्देश यथा मास्क पहनना, हैंडगलप्स पहनना, हैंडसेनिटाइज करना एवं सामाजिक दूरी आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हैंडसेनीटाइजर की छोटी शीशी अपने उपयोग हेतु साथ में रखेंगे।

9. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0 / –

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।